

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा पीपल्दा-187 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री रामनारायण मीना

पता- खोजा गेट रोड, बूंदी राज0

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : कोटा

तारीख : 11.12.2018

  
रिटनिंग अधिकारी  
विधानसभा क्षेत्र पीपल्दा (187)  
रिटनिंग ऑफिसर  
पीपल्दा-187  
कोटा

**FORM 21 C**

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act,1951.

\* Election of the Legislative Assmbly of RAJASTHAN State from Pipalda-187  
Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules.1961 .

I declare that -


Name **RAMNARAIN MEENA**

Address **Khoja Gate Road, BUNDI (RAJ.)**

[sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (Name of the recognized/ registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - KOTA

Date - 11.12.2018

  
रिटनिंग अधिकारी  
विधानसभा क्षेत्र पीपल्दा (187)  
**Returning Officer**  
Pipalda-187